न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00063 (63/2019) 225 आरटीएक्ट

डूंगरराम पुत्र लालचन्द जाति ब्राम्हण निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बलराम पुत्र लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मटोरिया वाली ढाणी हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. पवन कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति ब्राम्हण निवासी सरदारपुरा खालसा रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. चन्द्रभान पुत्र श्री लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर, प्र0 सं0 84/2018 बलराम बनाम डूंगरराम

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1 व 3

श्री मदन मूं अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः– 31.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बलराम ने धारा 53 व 188 आरटीएक्ट में एक वाद प्रस्तुत किया कि चक 6 एसपीएम की 5.060 है0 मय गैरमुमकिन खाला भूम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खाता की भूमि होने एवं कब्जा काश्त की भूमि होने का कथन करते हुए अच्छी मंदी किस्म के अनुसार खाता विभाजन करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थी सं0 1 को मुस्तर्का कब्जा काश्त से बेदखल करने व उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

भूमि का किस्म परिवर्तन करने तथा भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट करने से रोकने के लिए इस भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने का अनुतोष दिया जावे।

2. प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के नाम सांझा खाता व सांझा कब्जा काश्त की भूमि तहसील चक 6 एसपीएम में 5.060 है, ग्राम देवासर पटवार हल्का कानसर में 5.095 है0, चक 16 एमडी पटवार हल्का मटारियां वाली ढाणी तहसील हनुमानगढ में 1.240 है, व ग्राम स्वरूपदेसर तहसील रावतसर में 2.416 कुल 9.145 है. बारानी भूमि ब0हि0ब0 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का भी अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया तथा धारा 212 (1) आरअीएक्ट का प्रार्थना–पत्र में चक 6 एसवपीएम की 5.060 है. भूमि को कुर्क कर तहसीलदार राजस्व रावतसर को रिसिवर नियुक्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का वाद डिक्री किया है लेकिन अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय नहीं किया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्राथमिक डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने काउण्टर क्लेम में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था जिसमे अपीलाण्ट ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को साबित किया था कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि को रहन बैय अथवा अन्य किसी तरीके से अपीलाण्ट को कब्जा बेदखल कर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर सकते है। अपने काउण्टर क्लेम को दस्तावेंजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया था एवं प्राथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित किये थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम पर बिना कोई निर्णय पारित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 3.04.2016 को प्राथमिक डिक्री किया है तथा वाद के निर्णय के बाद प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का कोई औचित्य ही नहीं रहता है क्योंकि मूल विवाद का निस्तारण वाद के निर्णय में अन्तिम निस्तारण हो जाता है। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर भूमि को कुर्क करने के आदेश दिये हैं। यह आदेश किस आधार पर पारित किया है यह भी स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद केवल मात्र 6 एसपीएम का ही दावा डिक्री नही किया बल्कि अपीलाण्ट द्वारा बताई गई तीनों तहसीलों की भूमि के संबंध में प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तीनों तहसीलों के तहसीलदार से अलग अलग खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये हैं। काउण्टर क्लेम में अंकित भूमि निर्णय एवं डिक्री में शामिल कर ली गई है। सिर्फ यह अंकित होने से रह गया है कि ''काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है'' जो एक लिपिकिया त्रुटि है और इस लिपिकिय त्रुटि के आधार पर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा भूमि इसलिए कुर्क की गई है कि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का हिस्सा ठेका नहीं दे रहा है अकेले ही फूट खा रहा है संयुक्त खाता की भूमि में सभी सहकाश्तकारों का हक हिस्सा है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि में मेरे हिस्से को खा रहा है। मुझे इससे क्या हासिल होगा ? इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय रिसिवर करने के संबंध में विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 147, 2003 (2) आरआरटी पेज 1216 व 2005 आरबीजे पेज 64 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा था जिसमें तहसील रावतसर की 6 एसपीएम की 5.060 है0 भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा गया था। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि चक 6 एसपीएम की 5.060 है. भूमि के अतिरिक्त भी अन्य तहसीलों में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में भूमि है उनको भी इस भूमि में शामिल किया जावे। प्रकरण में जवाबुलजवाब पेश नही करने के कारण जवाब बन्द किया गया। वादपत्र के साथ वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने चक 6 एसपी की 5.060 है. भूमि के साथ साथ ग्राम देवासर पटवार हल्का कानसर के ख. नं. 514 की 5.095 है. बारानी, चक 6 एमडी पटवार हल्का मटोरिया वाली ढायी की 1.240 है. कमाण्ड मय खाला व ग्राम स्वरूपदेसर 2.416 है. कुल 9.145 है. भूमि के संबंध में अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार राजस्व रावसतर/नोहर/हनुमानगढ को कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्रस्ताव तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार रास्ता खाला को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड के हिस्सा अनुसार पक्षकारान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

उपस्थिति में तैयार कर मय नजरी नक्शा पेश करने के आदेश दिये, लेकिन विचारण न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए चक 6 एस.पीएम. की 5.060 है. भूमि को कुर्क कर तहसीलदार रावतसर को रिसिवर नियुक्त कर दिया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने एक तरफ भूमि की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये हैं और दूसरी तरफ प्रश्नगत भूमि पर तहसीदार को रिसिवर नियुक्त किया है जो एक विरोधाभाषी निर्णय है। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि सभी चकों की भूमि की बजाय केवल इस भूमि पर रिसिवर नियुक्त किस कारण से किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 6 एसपीएम के प0 नं0 211/417 के किला नं. 2 ता 9 की 2.024 है. मय गैर मु. खाला व किला नं. 12 ता 19 की 2.024 है. 22 ता 25 की 1.012 है0 कुल 5.060 है0 मय गै0 मु0 खाला भूमि को कुर्क कर तहसीलदार राजस्व रावतसर को रिसिवर नियुक्त करने का आदेश दिनांक 03.04.2019 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.14 18:20:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: